न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू जिला–टोंक (राज.)

पीठासीन अधिकारी रवि वर्मा (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

संख्या– 08/2019
प्रस्तुति दिनांक–17.10.2019
दिनांक–09.10.2020

1. बृजमोहन पुत्र कल्याणमल शर्मा जाति ब्राह्मण नि0 ग्राम पीपलू तहसील पीपलू जिला टोंक
2. सुमित्रा देवी धर्मपत्नि बृजमोहन जाति ब्राह्मण नि0 ग्राम पीपलू तहसील पीपलू जिला टोंक

प्रार्थीगण

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र काना जाति माली निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. गोपाल पुत्र काना जाति माली निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
3. सूरजमल पुत्र काना जाति माली निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
4. मंडूली पुत्री काना जाति माली निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
5. रामकिशन पुत्र केसरा जाति माली निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
6. पन्ना पुत्र रोड़्या जाति माली निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
7. भूरी धर्मपत्नि भंवरलाल जाति माली निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
8. तहसीलदार, पीपलू

अप्रार्थीगण

आवेदन रास्ता दिलवाये जाने व नक्शा शीट में रास्तें की तरमीम किये जाने बाबत्

अन्तर्गत धारा 251–ए रा0टि0एक्ट

निर्णय

दिनांकः–09.10.2020

प्रवक्ता प्रार्थीगण–श्री विवेक चौधरी

प्रवक्ता अप्रार्थीगण–श्री घीसालाल सैनी

पत्रावली वास्ते निर्णय आवेदन रास्ता दिलवाये जाने व नक्शा शीट मे रास्ते की तरमीम किये जाने बाबत् अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमि आराजी ख0न0 1851 रकबा 14 बिस्वा, ख0न0 1852 रकबा 17 बिस्वा वाके ग्राम पीपलू का प्रार्थी संख्या 01 खातेदार काश्तकार है तथा भूमि आराजी ख0न0 1806 रकबा 19 बिस्वा, ख0न0 1850 रकबा 18 बिस्वा, ख0न0 1853 रकबा 14 बिस्वा, ख0न0 1854 रकबा 05 बिस्वा गै.मु. झरडा वाके ग्राम पीपलू प्रार्थी संख्या 02 कॉर्डड खातेदार अभिधारी है। भूमि आराजी ख0न0 1869 रकबा 03 बिस्वा गै.मु. चाह वाके ग्राम पीपलू में प्रार्थी संख्या 01 का 1/30 हिस्सा दर्ज हैं, जहाँ तक जाने हेतु रास्ता बना हुआ है किन्तु ख0न0 1869 के बाद आराजी ख0न0 1854 में बने कुए व कुए के बाद प्रार्थीगण को अपनी आराजी पर जाने हेतु कोई रास्ता मोजूद नहीं है। प्रार्थीगण भूमि आराजी ख0न0 1855/1, 1855/2, 1859, 1858, 1856 के खेतों की मेड पर से होकर आते जाते हैं

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

उस पर से ही अपने कृषि यंत्रों को लाते एवं ले जाते है जो अप्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज हैं। प्रार्थीगण को आराजी ओर कुए पर पहुँचने हेतु अप्रार्थीगण के खेतों में से जाने वाले रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। जिसकी वजह से अप्रार्थीगण द्वारा भूमि उनकी खातेदारी मे दर्ज होने के कारण जाने मे प्रार्थीगण को बाधा उत्पन्न करते है, कृषि यंत्रों को लाने ले जाने नहीं देते है एवं अनावश्यक रूप से ा करते है। प्रार्थीगण को अपनी आराजी व चाह मे पहुचने के लिए ओर कृषि यंत्रों व साधनों को लाने ले के लिए रास्ते की अतिआवश्यकता है। प्रार्थीगण के पास संलग्न नक्शें में दर्शाये गये डोटेड रास्ते के वक्त अन्य कोई रास्ता नही है इस कारण प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के खेतों में से 30 फिट चौडा रास्ता या जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। इस कारण रास्ता दिलवाये एवं नक्शा शीट मे रास्ते की तरमीम किये हेतु यह प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर की जाकर तलबी अप्रार्थीगण की गई और तहसीलदार, पीपलू से उक्त आराजी के संदर्भ में मौका निरीक्षण रिपोर्ट चाही गई। अप्रार्थी न. 01 ता 03 एवं 06 ता 07 की तरफ से क्ता श्री घीसालाल सैनी ने वकालतनामा पेश कर जवाब प्रस्तुत किया कि प्रा0पत्र में प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया ोष पूर्णत: गलत है एवं स्वीकार नहीं है एवं विशेष आपत्तियाँ प्रस्तुत की जाकर कथन किया कि अप्रार्थीगण काश्तकार पेशा व्यक्ति है, जिनकी भूमि ख0न0 1855/1, 1855/2, 1859, 1858, 1856 वाके ग्राम पीपलू में है, अप्रार्थीगण की उक्त भूमि काश्त योग्य भूमि है, अप्रार्थीगण के पास आजीविका हेतु उपरोक्त आराजीयात है। इस कारण प्रार्थीगण कोई रास्ता उपरोक्त आराजीयात में से अपनी भूमि पर जाने हेतु प्राप्त करने के कारीगण नहीं है। प्रार्थीगण ने कभी भी अपनी भूमि को काश्त करने, कृषि यन्त्र लाने–ले जाने के लिए र्थीगण की भूमि का उपयोग नहीं किया है एव ना ही उपयोग करने के अधिकारी है, अप्रार्थीगण की भूमि में से रास्ता बना हुआ नहीं है। प्रार्थीगण जबरन एक नया रास्ता अप्रार्थीगण की भूमि में से बनाना चाहते है, का की प्रार्थीगण को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीगण के पास पूर्व से अपनी भूमि में जाने का रास्ता मौजूद नही है, जिसके विपरित जाकर वह अप्रार्थीगण की काश्त योग्य भूमि में से 30 फिट चौडा रास्ता कर अकृषि उपयोग में करना चाहते है, जिससे अप्रार्थीगण को अपार, अपरिमित व अपूरणीय क्षति कारित ो। इस कारण प्रार्थीगण कोई रास्ता अप्रार्थीगण की भूमि में से प्राप्त करने के अधिकारी नही हैं।

उभयपक्ष अधिवक्ता ने बहस का निवेदन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता बहस सुनी गई। अधिवक्ता र्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दौहरान करते हुए उक्त वर्णित आराजी व कुए पर आने ने हेतु कुए तक रास्ता बना हुआ हैं। कुए के बाद प्रार्थीगण को अपनी आराजी पर जाने हेतु कोई रास्ता मोजूद है। प्रार्थीगण भूमि आराजी ख0न0 1855/1, 1855/2, 1859, 1858, 1856 के खेतों की मेड पर से होकर ते जाते है और उस पर से ही अपने कृषि यंत्रों को लाते एवं ले जाते है जो अप्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज प्रार्थीगण के पास अप्रार्थीगण के खेतों में से जाने वाले रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद ी है। प्रार्थीगण को अपनी आराजी व चाह में पहुचने के लिए ओर कृषि यंत्रों व साधनों को लाने ले जाने के ए रास्ते की अतिआवश्यकता है। प्रार्थीगण के पास संलग्न नक्शें में दर्शाये गये डोटेड रास्ते के अतिरिक्त अन्य ई रास्ता नहीं है इस कारण प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के खेतों में से 14 फिट चौडा रास्ता दिलवाये जाने हेतु वेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण श्री घीसालाल सैनी ने अपनी बहस में बताया कि अप्रार्थीगण लघु काश्तकार ा व्यक्ति है, अप्रार्थीगण की उक्त भूमि काश्त योग्य भूमि है, अप्रार्थीगण के पास आजीविका हेतु उपरोक्त राजीयात ही है। प्रार्थीगण ने कभी भी अपनी भूमि को काश्त करने, कृषि यन्त्र लाने–ले जाने के लिए अप्रार्थीगण ी भूमि का उपयोग नहीं किया है एव ना ही उपयोग करने के अधिकारी है, अप्रार्थीगण की भूमि में से कोई रास्ता ना हुआ नहीं है। प्रार्थीगण जबरन एक नया रास्ता अप्रार्थीगण की भूमि में से बनाना चाहते है, जिसका की र्थीगण को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीगण के पास पूर्व से अपनी भूमि में जाने का अन्य रास्ता ोजूद है। जिसके विपरित जाकर वह अप्रार्थीगण की काश्त योग्य भूमि में से 14 फिट चौडा रास्ता प्राप्त कर

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

कृषि उपयोग में करना चाहते है, जिससे अप्रार्थीगण को अपार, अपरिमित व अपूरणीय क्षति कारित होगी। इस कारण प्रार्थीगण कोई रास्ता अप्रार्थीगण की भूमि में से प्राप्त करने के अधिकारी नही हैं।

हमने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अधिनियम 2010 तथा अधिवक्ता प्रार्थी के जवाब एवं तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं उभय पक्षों की बहस पर मनन किया साथ ही सहायक कलक्टर द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। मुताबिक मौका निरीक्षण रिपोर्ट राजकीय गै0मु0 रास्ता आराजी ख0न0 1762 से लगती हुई प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0न0 1868 है एवं इसके लगवा ख0न0 1869 गै.मु. चाह नदी की खातेदारी में दर्ज है। जहाँ तक आने जाने हेतु रास्ता बना हुआ है। कुए के बाद प्रार्थीगण को अपनी आराजी पर जाने हेतु कोई रास्ता मोजूद नही है। तहसीलदार, पीपलू की मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि पर आने जाने हेतु ख0न0 1855/2, 1858, 1856 में से होकर रास्ता बनाया जा सकता है। प्रार्थीगण के पास अप्रार्थीगण के खेतों में से जाने वाले रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं एवं प्रार्थीगण को अपनी आराजी में आने–जाने हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि आराजी ख0न0 1851, ख0न0 1852, ख0न0 1806, ख0न0 1850, ख0न0 1853, ख0न0 1854 वाके ग्राम पीपलू में पहुँचने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आराजी ख0न0 1855/2, 1858, 1856 के खेतों की मेड से होकर मौका रिपोर्ट अनुसार 14 फिट चौडाई का रास्ता दिये जाने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार पीपलू को आदेशित किया जाता है कि उक्त रास्ते में काम आने वाली भूमि का क्षेत्रफल निकालकर निर्धारित डी.एल.सी. दर के आधार पर बनी प्रतिकर राशि की गणना कर प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को भुगतान किये जाने के उपरान्त रास्ते का राजस्व कौर्ड में अमल दरामद करे। निर्णय आज दिनाक–09.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली सफल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा नियमानुसार दाखिल दफ्तर हों।

(रवि वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी, पीपलू
जिला–टोंक

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner